जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/मा.प्लान/2025/डी–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः–

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 22, 23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों के तहत मास्टर विकास योजना–2025 दिनांक 06.09.2011 एवं जोनल विकास योजना–8 व जोनल विकास योजना 14 –दिनांक 22.05.2018 को अधिसूचित किये गये है, जिनमें राजस्थान आवासन मण्डल की राजस्व ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर में अवाप्तशुदा 329.17 हैक्टेयर भूमि का भू–उपयोग पब्लिक सेमी–पब्लिक, यू–2, रिक्रियशनल, ईकॉलोजिकल एंव वॉटर बॉडी दर्शाया गया है।

प्रकरण के संबंध में नगरीय विकास विभाग में आयोजित बैठक दिनांक 23.11.2021 में आवासन मण्डल की राजस्व ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर में अवाप्तशुदा 329.17 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु वृहद जनहित में मास्टर विकास योजना –2025 जयपुर में आवश्यक संशोधन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसके क्रम में आमजन से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) के तहत दिनांक 28.01.2022 को अधिसूचना प्रकाशित की गई। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का परीक्षण राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जाकर पत्र दिनांक 19.05.2022 अनुसार आपत्तियों को अस्वीकृत करते हुए निस्तारित किया गया।

नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.11(03)नविवि/मा.प्लान/जविप्रा/2025 पार्ट दिनांक 25.04.2025 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की राजस्व ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जयपुर में अवाप्तशुदा 329.17 हैक्टेयर भूमि को जयपुर मास्टर विकास योजना–2025 में दर्शित भू–उपयोग पब्लिक सेमी–पब्लिक (रिक्रियशनल, ईकॉलोजिकल एंव वॉटर बॉडी उपयोग को यथावत रखते हुए) से आवासीय भू–उपयोग निर्धारित किये जाने हेतु मास्टर विकास योजना–2025 में आवश्यक संशोधन बाबत जयपर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः जविप्रा अधिनिमय, 1982 की धारा 25(4) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की राजस्व ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जयपुर में अवाप्तशुदा 329.17 हैक्टेयर भूमि को जयपुर मास्टर विकास योजना–2025 में दर्शित भू–उपयोग पब्लिक सेमी–पब्लिक (रिक्रियशनल, ईकॉलोजिकल एंव वॉटर बॉडी उपयोग को यथावत रखते हुए) से आवासीय भू–उपयोग निर्धारित किया जाकर अधिसूचित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार मास्टर विकास योजना–2025 में संशोधन जविप्रा की वेबसाईट www.jda. rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से मास्टर विकास योजना–2025 का भाग माना जाकर प्रभावी होगी।

(निशान्त जैन)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Designation : Secretary
Date: 2025.05.01 18:38:20 IST
Reason: Approved

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि / परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / भूमि / एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान / बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान / एल.पी. / प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14 एवं पी.आर.एन (उत्तर–I, II / दक्षिण–I,II), जविप्रा, जयपुर।
11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अगले असाधारण अंक में प्रकाशित की जावे।
12. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा, जयपुर को भेजकर कर लेख है कि अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की जानी है, इस हेतु नियमानुसार 1 पृष्ठ के लिए रूपये 3721/– का डी.डी. इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, जिससे उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा सके।
13. उप निदेशक (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर।
14. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
15. नोटिस बोर्ड।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Designation : Secretary
Date: 2025.05.01 18:38:20 IST
Reason: Approved